

21/1/2021

2020

00193

पत्राचार की सेवा हुई। प्रार्थी एवं विपत्ती संख्या
1,5 उपालिखित। विपत्तीगण 2 से 4 उपालिखित नहीं
आवाज लगवाई गई। उपालिखित नहीं मत! इनके
विच्छेद एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं।

(श्याम सुन्दर बिड़ई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मजरा 112

द्वारा गनी मुद्रा

विषयी संख्या । द्वारा रिकॉक 30/9/2020 को
सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया जो
रेकार्ड पर लिखा जाता है। विषयी संख्या
5 जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं एवं
प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहमति
व्यक्त की। बहस प्रकारी उभय पक्ष
हुने गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर
उभय पक्ष की बहस पर भ्रमण किया।
नकल जमाव की संवत् 2069-2072 अनुका
ग्राम सुरजपोल पणहण एशाल तहकील चित्तौड़गढ़
की आराजी नम्बर 1215 रकबा 0.28 हे०
प्राची के नाम खातेदारी हक ले दी है।
अतः प्राची का प्रार्थना पत्र अर्जत द्वारा
128 भू राजस्व आधिनियम स्वीकार किया
जाकर प्राची की ग्राम सुरजपोल पणहण
एशाल स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर
1215 रकबा 0.28 हे० ग्राम की बिना किसी
के कब्जे में दरखलवाजी किए सेटलमेंट
नम्बर अनुकार पत्थरगढी किए जाने के
आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी शुल्क 700.00 रु०
असरे खात लौ बन्धर प्राची वहन करेगा।
पालनार्थ तहकीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा
जावे कि पक्षकारों को लिखित सूचना
दी जाकर निपमानुकार पत्थरगढी की जावे
एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
निर्णय लिखाया जाकर से इजलास सुनाया
गया। पत्रावली कोषाल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2020
00193